न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 42/2019 (राजसमन्द डिक्री)

प्रताप भील पिता घीसा जी, जाति भील, निवासी सापोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल पिता नारू जी, जाति भील, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भंवरलाल पिता केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. लालू पिता केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती भोली बेवा केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कस्तुरी पुत्री केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती पुष्पा पुत्री केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती रामू पुत्री केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती शान्ता पुत्री केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती तुलसी पुत्री केशुजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
10. पेमा पिता उदाजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
11. नन्दलाल पिता छोगाजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
12. श्रीमती नबुडी पुत्री छोगाजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

13. श्रीमती सीता बेवा छोगाजी, जाति भील, निवासी नवोदय विद्यालय के पास, गाडरियावास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

14. भगवतीलाल पिता कालूजी, जाति भील, निवासी बोरज, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 17.08.2015 प्र.सं. 168/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री गिरजाशंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1
3– श्री पूजाराय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 11
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 24–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद बाबत विभाजन, राजस्व रेकार्ड में अंकन व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजनगर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 1089, 1091 से 1094, 1096 व 1102 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 13 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 14 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, किन्तु भूमियों का विभाजन नहीं होने से परेशानी आती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–05–2015 को वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

के आधार पर दिनांक 17–08–2015 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की ओर से वकील श्री पूजाराय उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा प्रकरण को दोतरफा करने का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में अविलम्ब प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 का दिनांक 17–08–2016 को निरस्त कर दिया गया, जिसपर पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है तथा रेस्पोन्डेन्टगण की आपसी मिली भगत से तैयार पर्चा मौके के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के समय अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गयी है एवं एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने वक्त बहस बताया कि अपीलान्ट द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मात्र इसी आधार पर

खारिज योग्य है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी करने के बाद उनके अनुपस्थिति रहने से प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया है, जिसके आधार पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी करने के बाद विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा उपस्थित पक्षकारों के समक्ष तैयार किया गया है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–05–2015 एवं अंतिम डिक्री 17–08–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 24–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

प्रताप भील पिता घीसा जी भील, निवासी सापोल, तह0 राजसमन्द बनाम **मांगीलाल पिता नारू जी भील, निवासी नाथद्वारा, त. नाथद्वारा, जिला राजमसन्द व अन्य**

अपील नं.....**42 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **राजसमन्द** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**08**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री जी.एस. मेहता**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मनीष शर्मा / पूजाराय**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–05–2015 एवं अंतिम डिक्री 17–08–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:34:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: